अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 96 / 2012

कृष्णा कुमार सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
10.06.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, छपरा के ज्ञापांक 2211, दिनांक 24.07.12 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को जिला स्तरीय जांच दल संख्या 6 श्रीमति पुनिता श्रीवास्तव, निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, डी0आर0 डी0 ए0, सारण,छपरा के द्वारा कृष्ण कुमार सिंह ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–56/2007, पंचायत–कदलपुरा, प्रखंड–मशरक थाना–मशरक की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में दूकान बंद पाई गई। उक्त अनियमितता के लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 586/गो0, दिनांक 22.03.2012 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि 10.01.2012 को विक्रेता के द्वारा अपनी दूकान 11:00 बजे दिन तक खोला गया था। उसके बाद खाद्यान्न के उठाव हेतु राज्य खाद्य निगम के खाता में पैसा जमा करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक,मुरलीपुर,तरैया चले गये। बैंक में पैसा जमा करने की पर्ची विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। अतः विक्रेता के द्वारा जान बुझ कर किसी अनियमितता को छिपाने के लिए अपनी दूकान बंद नहीं रखी गई थी। एक अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय,पटना के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि केवल दूकान बंद रहने की स्थिति में अनुज्ञप्ति रदद् किए जाने जैसी गंभीर सजा दिया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपील किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए। विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के द्वारा अपनी अनुपस्थिति के लिए साक्ष्य के रूप में बैंक की जमा	

पर्ची प्रस्तुत की गई है। अतः उन्हें चेतावनी देते हुए उन्हे राहत देने के बिन्दु पर विचार किया जा सकता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश (2211, दिनांक24.07.2012) एक मुखर आदेश नहीं है। जांच की तिथि को यदि विक्रेता की दूकान बंद थी तो अनुज्ञापन पदाधिकारी को चाहिए था कि वे एक तिथि निर्धारित करके विक्रेता की दूकान से संबंधित कागजात/पंजी मंगवाकर जांच करते एवं यदि किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती तो विक्रेता से पूरक कारण पृच्छा करते हुए प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलाथी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

10/6/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/6/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 401 /न्या0, दिनांक 10/6/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7 ई0सी0,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0 आई0 सी0, सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/6/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

10/6/15